

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 9/2019

दायर दिनांक: 04/07/2019

उनवान

1. भरतराज पुत्र श्रवणदास जाति बैरागी निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थिति :-

प्रार्थी:- विद्वान अभिभाषक श्री पेरोंकार सरकार।

आदेश

दिनांक : 04/07/2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल महेशपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 101 में नाम भरतराम दर्ज है। तथा ग्राम मेरमाचाह में जमाबन्दी खाता संख्या 194 में भरतराज दर्ज है। चूंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भरतराज है, तथा आधार कार्ड, राशनकार्ड व पहचान पत्र (मतदाता) में भरतराज ही दर्ज है।

अतः श्रीमान महेशपुरा की खाता संख्या 101 में भरतराज दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की जिसमें ग्राम महेशपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाते संख्या 101 में खातेदार का नाम भरतराम अंकित है। प्रार्थी का नाम भरतराम के स्थान पर भरतराज करना उचित है।

प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल ग्राम महेशपुरा में प्रार्थी का नाम भरतराम खाता संख्या 101 में दर्ज है। तथा ग्राम मेरमाचाह की जमाबन्दी खाता संख्या नया 194 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में भरतराज दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, आय कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम भरतराज दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन कि आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम महेशपुरा की खाता 101 में सहखातेदार भरतराम के स्थान पर भरतराज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

